

3

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta J.M.F.C., Gohad, DIST-. BHIND (M.P)

Case No. 130/17 3.00 Complaint or report made on

Name and address of the Complainant. बाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग  
श्रीमान पुलिस चौकीदार

Name, parentage, caste and address of accused

विष्णु नामा

विष्णु नामा 3/0 इन्दौर राम नामा डम 26

नि. अन्तरा लाडा, बुद्धा हत्तामा 6

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 20/07/17 को समय लगभग 3:00 बजे,

में वाहन TVS 100V को  
को 06 04 FA 2931 को बिना रजिस्ट्रेशन/ फिटनेश/ बीमा/नम्बर प्लेट/

शुद्ध लाडा के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा MV-185 के तहत

दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

A.K. Gupta  
Judicial magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P)

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है बिना किसी भी मुक्तकहे का निमित्त

विष्णु नामा

A.K. Gupta  
Judicial magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.




// निर्णय //

(आज दिनांक 20-7-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 MVA के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी विरिणु राय को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कमशः राशि रुपये 10 हजार 2500/- कुल रु0 (2000/-) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन मोटर वाहन को C61 04 FA 2971 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
A.K. Gupta  
Judicial magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P.)